राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निर्देशिका

विद्यालय सुरक्षा नीति

फरवरी 2016

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली
द्वारा जारी राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन
दिशा निर्देशों का भावानुवाद

विषय सूची

क्रं.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	सारांश	**4–5**
1.0	**परिचय**	**6–9**
	1.1 बच्चों की सुरक्षा के खतरें के रूप में आपदाएं	
	1.2 विद्यालय सुरक्षा की समझ	
	1.3 राष्ट्रीय नीति उपकरण	
	1.4 निर्देशों का क्षेत्र	
2.0	**विद्यालय सुरक्षा नीति दिशा–निर्देशों की दृष्टि, उपागम एवं उद्देश्य – विषय–वस्तु**	**10–13**
	2.1 दृष्टि	
	2.2 सुरक्षित विद्यालय के लिए प्रमुख चुनौतियां	
	2.3 उपागम	
	2.4 दिशा–निर्देशों के उद्देश्य	
3.0	**कार्यक्षेत्र**	**14–28**
	3.1 बालकों के लिए सुरक्षित अधिगम वातावरण हेतु संस्थागत संकल्प को मजबूती प्रदान करना	
	3.2 सुरक्षा के लिए योजना	
	3.3 विद्यालय सुरक्षा गतिविधियों का क्रियान्वयन	
	3.4 सुरक्षित विद्यालयों हेतु क्षमता संवर्द्धन	
	3.5 जोखिम का नियमित प्रबोधन एवं योजना पुनरावलोकन	
4.0	**विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व**	**29–37**
	4.1 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	
	4.2 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	

क्रं.सं.		विवरण	पृष्ठ संख्या
	4.3	राष्ट्र स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण	
	4.4	राज्य स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण	
	4.5	जिला एवं ब्लॉक स्तर शिक्षा प्राधिकरण	
	4.6	एस.सी.ई.आर.टी. एवं डाइट	
	4.7	विद्यालय प्रशासन	
	4.8	विद्यालय नियामक प्राधिकरण	
	4.9	पंचायत राज संस्थाएं/शहरी स्थानीय निकाय	
	4.10	विद्यालय बालक	
	4.11	गैर सरकारी संगठन (स्थानीय/क्षेत्रीय/अन्तराष्ट्रीय)	
	4.12	निगमित निकाय	
	4.13	अन्तर्राष्ट्रीय कोष एजेन्सी एवं संयुक्त राष्ट्र संघ	
	4.14	मीडिया	
5.0	**हितधारकों के लिए क्रिया बिन्दु**		**38–47**
	5.1	राष्ट्रीय स्तर	
	5.2	राज्य स्तर	
	5.3	जिला स्तर	
	5.4	विद्यालय स्तर	

सारांश

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति की रूपरेखा सम्पूर्ण भारत के परिदृश्य में विद्यालयों, समुदाय, बच्चों, अध्यापकों व अन्य हितधारक समूहों की प्राकृतिक खतरों या आपदाओं से सुरक्षा को रेखांकित करती है। सम्पर्ण रूपरेखा या दिशा निर्देश पूरे भारत के ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों को इन प्राकृतिक आपदाओं से तुरन्त बचाव की आवश्यकता पर बल देते है। यह आशा की जाती है कि यह दस्तावेज भारतवर्ष के सभी विद्यालयी बच्चों को प्राकृतिक खतरों से सुरक्षित रहने के लिए शिक्षित करने में उपयोगी साबित होंगे।

दिशा–निर्देश की मुख्य बातें :–

- विद्यालय सुरक्षा को समग्र रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के दायरे में निर्देशित करते है।
- दिशा निर्देश द्वारा बच्चों, शिक्षकों, विद्यालय के अन्य कार्यकर्ता, राज्य व जिलों की विद्यालयी शिक्षा को प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की क्षमताओं के लिए शिक्षित करना।
- छात्र केन्द्रित प्राकृतिक खतरों से सुरक्षा में कमी हेतु स्थानीय स्तर पर नीति को क्रियान्वित करना व सम्बलन देना।
- प्रमुख खतरों व संकटों से सम्बन्धित सुरक्षा शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रम में समावेशित करना।
- विद्यालयी सुरक्षा को विभिन्न सरकारी नीतियों व योजनाओं से जोड़ना।
- प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बालकों के अधिकारों की रक्षा हेतु जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्धित संस्थाओं में समन्वय तथा उन्हें सम्बल देना ।

अध्याय –1 : विद्यालयी सुरक्षा का संकल्प व महत्व तथा इसका राष्ट्रीय योजनाओं एवं नीतियों में स्थान।

अध्याय –2 : विद्यालयी सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों की व्याख्या तथा मूलभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए विद्यालयी सुरक्षा का परिदृश्य, उद्देश्य व रूपरेखा का निर्माण करना।

अध्याय–3 : समग्र रूप से विद्यालयी सुरक्षा की विभिन्न गतिविधियों को राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर के परिप्रेक्ष्य में संचालित करना। इसके अन्तर्गत विद्यालयी सुरक्षा योजना, विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना, संरचनात्मक व गैरसरंचनात्मक सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन। विद्यालयी सुरक्षा हेतु हितधारक समूहों को सशक्त करना, सुरक्षा उपाय व आपदा प्रबन्धन का पाठ्यक्रम में समावेश । सभी विद्यालयी शिक्षा उपागमों, आपदा से सम्बन्धित खतरों का अवलोकन व इसके बचाव उपाय तैयार करना।

अध्याय –4 : विभिन्न हितधारकों को राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर विद्यालयी सुरक्षा का उत्तरदायित्व प्रदान करना।

अध्याय – 5 : विभिन्न हितधारकों को विद्यालयी सुरक्षा के परिपेक्ष्य में उचित माध्यम द्वारा शिक्षित करना।

भाग –1

परिचय

1.1 बच्चों की सुरक्षा के खतरें के रूप में आपदाएं

1.2 विद्यालय सुरक्षा की समझ

1.3 राष्ट्रीय नीति उपकरण

1.4 निर्देशों का क्षेत्र

परिचय

1.1 बच्चों के सुरक्षात्मक खतरे के रूप में आपदाएँ

आपदाओं को समुदाय या समाज के कार्यों के लिए गम्भीर विघटन के रूप में परिभाषित किया गया है जो व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय क्षतियों का कारक बनती है जो प्रभावित समुदाय एवं समाज के स्वयं के संसाधनों के उपयोग की क्षमता से अधिक होती है। आयु, शारीरिक क्षमता, लिंग, स्वास्थ्य स्थिति और संरक्षकों पर निर्भरता सहित अनेक कारकों के कारण कई बच्चें आपदाओं की घटना होने पर अत्यधिक कमजोर (भेद्य) होते हैं। ऐसी घटनाएँ उनके स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के साथ–साथ सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा होती है। भय, हिंसा, माता–पिता एवं संरक्षकों से अलगाव, शोषण और उत्पीड़न आदि मुख्य समस्याएँ हैं जिनका बच्चे अक्सर सामना करते हैं और उनके परिवारों में आजीविका का अभाव उन्हें अत्यधिक निर्धनता और बेघर होने की ओर धकेल देता है। अन्य संसाधनों की तरह विद्यालयों में भी आपदाओं का खतरा रहता है। आपदाओं ने न केवल सरकार व अन्य सम्बन्धित घटकों द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने को चुनौती दी है बल्कि बच्चे और शिक्षा की साधना में संलग्न समस्त लोगों के जीवन को खतरा उत्पन्न किया है।

इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि विद्यालय परिसर की गुणवत्ता और हितधारकों की विद्यमान क्षमताओं का बच्चे की आपदाओं से खतरे के प्रति भेद्यता पर प्रभाव पड़ता है। वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर की मुख्य आपदाओं से विद्यालय परिसरों को हुई क्षति और मृतकों की संख्या के आधार पर यह मानते हुए कि बच्चे अपना अधिकतम समय विद्यालय में बिताते है उनकी सुरक्षा और बेहतरी सुनिश्चित करने की दृष्टि से सुरक्षित विद्यालय का अत्यधिक महत्व है। विद्यालय बच्चों को धीरे–धीरे सामान्य स्थिति में लौटाने में सहायतार्थ सुरक्षित आश्रय हो सकते है। सुरक्षित विद्यालय या परिसर में बच्चों के लिए आवश्यक पूरक पोषण तथा सुरक्षित पानी तथा स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराए जा सकते हैं इसलिए इस बात पर एक वैश्विक सहमति हैं कि आपदा के बाद विद्यालय जल्द से जल्द वापस खुलें।

1.2 विद्यालय सुरक्षा की समझ

विद्यालय सुरक्षा को बच्चों के लिए घर से विद्यालय जाकर वापसी तक सुरक्षित वातावरण निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें बडे पैमाने पर भू–गर्भीय एवं जलवायु सम्बन्धी

प्राकृतिक आपदाओं, मानव निर्मित आपदाओं, महामारियों, हिंसा तथ अग्निकाण्ड, परिवहन एवं अन्य सम्बन्धित आपदाओं तथा बच्चों की जान जोखिम में डालने वाले पर्यावरण सम्बन्धी खतरों से सुरक्षा शामिल है। यह अवधारणा पिछले दो दशक से विकसित हुई है क्योंकि विश्व स्तर पर एवं राष्ट्र में बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरा अधिक दिखने लगा है।

हियागो रूपरेखा –

आपदाओं में कमी लाने के लिए आयोजित विश्व स्तरीय सम्मेलन में अंगीकृत, हिआगो कार्य योजना (HFA) 2005–15; देशों और समुदायों को आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार करते हुए ज्ञान और शिक्षा के महत्व को अपनी पांच प्राथमिकताओं में से एक के रूप में रेखांकित करता है। यह आपदाओं के खतरों के प्रतिसमुदाय को जागरूक करने एवं आपदाओं का सामना करने की बेहतर तैयारी के उद्देश्य से युवाओं एवं स्कूली छात्रों की ओर ध्यानाकर्षित करता है।

विद्यालय सुरक्षा की अवधारणा के वर्तमान स्वरूप में विधालय परिसर के अन्दर और बाहर दोनों तरह के मामले शामिल है। इसमें बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले, समस्त प्रकार की हिंसा एवं वंचना को देखने वाले बाल संरक्षक एवं सुरक्षा के मुद्दें शामिल है। अतः आज की स्थिति में, विधालय सुरक्षा की अवधारण में बच्चों के लिए उनके घरों से शुरू होकर उनके विधालय तक एवं वापसी में सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना शामिल है।

1.3 राष्ट्रीय योजना प्रपत्र

भारतीय संविधान – भारतीय संविधान के अनुसार देश में शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है।

बच्चों पर राष्ट्रीय योजना (2013) – बच्चों के लिए राष्ट्रीय योजना 2013 देश में बाल अधिकारों के संरक्षण के संकल्प को पुष्ट करती है। इस नीति में उत्तरजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास एवं आपदाओं से सुरक्षा और सहभागिता को प्रत्येक बच्चे के अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है और इन्हें मुख्य प्राथमिकताएं घोषित किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम (2005) – राष्ट्रीय आपदा प्रबंध एक्ट 2005 ने आपदा प्रबंध के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर संस्थानिक, वैधानिक, वित्तीय, और समन्वय प्रक्रिया स्थापित की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा इस अधिनियम ने सुरक्षा के प्रति जागरूकता शिक्षकों एवं विधार्थियों सहित सभी हितधारकों में उत्पन्न की है।

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय योजना (NPDM) 2009 – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना 2009 ने विधालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया है। तकनीकी–विधिक–शासन पद्धति अध्याय के 6.4.1 अनुच्छेद में योजना ने विद्यालय भवन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में बताया है और विद्यालय भवन/छात्रावास भवन भूकम्परोधी उपकरण का प्रावधान करने और यथोचित अग्नि सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित करने को कहा है। क्षमता विकास अध्याय के अनुच्छेद 10.2.2 में इस योजना में विधालय सहित सभी शिक्षण संस्थाओं में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण पर जोर दिया है। अनुच्छेद 10.5.1 विधालय और कॉलेजों में आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित कार्यों में एन.सी.सी. स्काउट एंव गाइड की भूमिका का सन्दर्भ दिया है। अनुच्देद 10.6.1 में केन्द्रीय एक राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन के विषय के परिचय के बारे में चर्चा की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो 1992 में संशोधित है में प्राथमिक शिक्षा को बाल केन्द्रित उपागम बताया है लेकिन विधालय सुरक्षा और बच्चों के आपदा जोखिम के बारे में कोई विशिष्ट सन्दर्भ नहीं रखा गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यह अधिनियम विधालय स्थान एवं गुणवत्ता के आधार पर न्यूनतम मानक एवं मानदण्ड स्थापित करता है। अध्याय–19 में कहा गया है कि जब तक अधिनियम में उल्लेखित विशिष्ट मानक एवं मानदण्ड पूरा नहीं करे तब तक किसी भी स्कूल को स्थापित नहीं किया जाए और मान्यता नहीं दी जाए। RTE 2009 चौदह वर्ष तक की आयु के देश के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्ष की गारंटी देता है।

1.4 निर्देशों का क्षेत्र

राष्ट्रीय विधालय सुरक्षा नीति दिशा–निर्देश देश के ग्रामीण एवं शहरी विधालयों की आपदाओं का सामना करने की क्षमताओं के सशक्तिकरण पर भारत की स्कूली शिक्षा (सरकारी व निजी दोनों) पर निर्णय निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करती है।

आशा है कि यह दस्तावेज इन संस्थाओं के लिए उपयोगी होगा एवं देशभर के स्कूली बच्चों के शिक्षा के अधिकार के तहत सभी आपदाओं से सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

भाग –2

विधालय सुरक्षा नीति दिशा निर्देशों की दृष्टि, उपागम एवं उद्देश्य

विषय–वस्तु –

2.1 दृष्टि

2.2 सुरक्षित विधालय के लिए प्रमुख चुनौतियाँ

2.3 उपागम

2.4 दिशा निर्देशों के उद्देश्य

विद्यालय सुरक्षा नीति दिशा निर्देशों की दृष्टि, उपागम एवं उद्देश्य

2.1 दृष्टि

राष्ट्रीय विधालय सुरक्षा नीति दिशा निर्देश देश के सभी विधालयों के लिए आवश्यक है, चाहे वे निजी हों या राजकीय अथवा ग्रामीण हों, या नगरीय । ये उन सभी पर लागू हैं जो हितधारक भारतीय बच्चों को शिक्षा देने के काम में संलग्न हैं ।

शिक्षा साधना में संलग्न शिक्षकों, विद्यार्थियों और विद्यालय समुदाय के अन्य हितधारकों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए ये दिशा–निर्देश भारतवर्ष की दूरदृष्टि को व्यक्त करते है। ये दिशा निर्देश शैक्षणिक निरंतरता, यहां तक कि आपदा के तत्काल बाद भी विद्यालय तत्काल प्रारम्भ हो, इस बात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते है ताकि बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने विद्यालय में सुरक्षित रह सके। भारतीय संविधान शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में संजोये हुए है। शिक्षा के अधिकार के सन्दर्भ में सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे सुरक्षित रहते हुए शिक्षा के अधिकार का उपयोग करें।

2.2 सुरक्षित विद्यालय के लिए प्रमुख चुनौतियां –

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विद्यालय सुरक्षा के प्रयास जारी है। विद्यालय सुरक्षा मानकों के क्रियान्वयन में मुख्य चुनौतियां निम्नवत् हैं :–

संस्थाओं में समन्वय का अभाव – आपदा प्रबंध सस्थानों और अन्य गैर आपातकालीन संस्थानों जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान आदि में परस्पर समन्वय का स्पष्ट अभाव है। अधिकांश राज्यों में शिक्षण कार्यक्रम निर्धारण राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण/जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण से समन्वय के बिना ही किया जाता है।

विभिन्न योजनाओं के मध्य सीमित सामंजस्य – किसी राजकीय योजना का प्रभावी क्रियान्वयन अन्य संबंधित योजनाओं से सामंजस्य के बिना संभव नहीं होता। उदाहरणतः विद्यालय में भूमि विकास का कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) से वित्त पोषित हो सकता है। यद्यपि विद्यालय विकास योजना निर्माण और MGNREGA के लिए सूक्ष्य नियोजन गतिविधि में गहरा समन्वय और सामंजस्य आवश्यक है।

विद्यालय सुरक्षा के सम्प्रत्यय की सीमित समझ – यह स्पष्ट है कि देश में वर्तमान शिक्षा तंत्र विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए एक सुरक्षित अधिगम वातावरण निर्मित करने के लिए कटिबद्ध है किन्तु कार्यक्रमों का वास्तविक धरातल पर क्रियान्वयन विद्यालय सुरक्षा के सम्प्रत्यय की सीमित समझा के कारण चुनौतीपूर्ण है। अनेक क्षेत्रों में नवीन विद्यालय भवन निर्माण में भूकम्परोधी तकनीक का भली–भांति इस्तेमाल किया जा रहा है तथापि बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि की ओर भवन निर्माण के वक्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अतिरिक्त गैर संरचनात्मक तत्वों को सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जाता है। अध्यापकों और छात्रों के स्तर पर विद्यालय सुरक्षा का विषय गौण समझा जाता है। विद्यालय सुरक्षा समझ को एक दैनन्दिन गतिविधि बनाने के लिए विद्यालय समय सारणी और पाठ्यचर्या में उचित संशोधनों की आवश्यकता है।

2.3 उपागम

2.3.1 इन निर्देशों के मूल सिद्धान्त निम्नानुसार है –

विधालय सुरक्षा कार्यक्रम में बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के खतरों का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इसमें बाढ़ एवं भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ–साथ मानव निर्मित खतरे भी शामिल है। खतरों में संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक कारक भी शामिल है। संरचनात्मक कारकों में जर्जर भवन, निर्माण दोष युक्त भवन, खराब तरीके से तैयार संरचनाओं एवं खराब तरीके से संधारित भौतिक संसाधन, खुले इमारती तत्व इत्यादि शामिल है, जबकि गैर संरचनात्मक कारकों में खुले पड़े भारी सामान जैसे अलमारियां, परिसर में सांप और अन्य जहरीले जन्तुओं की समस्या, चारदीवारी का अभाव या टूटा हुआ होना, विषमतम फर्श अवरूद्ध निकास मार्ग, खराब तरीके से तैयार कर रखा हुआ फर्नीचर जिससे चोट पहुंचने अथवा दुर्घटना की आशंका रहती हैं एवं अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं इत्यादि शामिल है। अचानक अथवा शनैः–शनैः विकसित दृश्य एवं अदृश्य जोखिमों से बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों की सुरक्षा को समग्र रूप से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

2.3.2 विधालयों को अधिक सुरक्षित करने हेतु विद्यमान नीति के प्रावधानों का सशक्तीकरण –

शिक्षा के क्षेत्र में भौतिक संसाधन विकसित करने के लिए सरकार द्वारा ठोस निवेश किया गया है। अतः यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता हैं कि समस्त विद्यमान एंव नये भौतिक संसाधन, डिजाइन एवं निर्माण प्रक्रियाओं के द्वारा स्थानीय प्रासंगिक जोखिमों का सामना करने में सक्षम हो। असुरक्षित संरचनाएं बच्चों की जोखिमों के शिकार होने की संभावना बढ़ा देते हैं, जो

कि इन प्रयासों का प्राथमिक लक्ष्य समूह है। इसलिए संकटकाल से इतर समय में किये जाने वाले विकास कार्यों को भी संकट काल के दौरान अपेक्षानुरूप प्रदर्शन करने की दृष्टि से डिजाइन किया जाये, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के विद्यमान संस्थानों को विद्यालय सुरक्षा नियोजन एवं क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व लेने के लिए सशक्त एवं सक्षम बनाया जाना आवश्यक है। यह कदम न केवल विकास नीतियों एवं कार्यक्रमों का सशक्तीकरण सुनिश्चित करेगा, अपितु सुरक्षा कार्यों में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

2.3.3 विद्यालय सुरक्षा, नियोजन, क्रियान्वयन एवं प्रबोधन के लिए गुणवता संकेतक के रूप में –

विद्यालय सुरक्षा एकबारगी प्रयास न होकर एक सतत् प्रक्रिया है। आपदा से निबटने के परम्परागत तीन चरणों पूर्ण तैयारी, आपदा के दौरान प्रतिक्रिया एवं बहाली को छोड़कर सुरक्षा सिद्धांतों को देश की शिक्षण संस्थाओं के दैनन्दिन कार्यों में शामिल किये जाने की आवश्यकता है। अतः देश में शिक्षण कार्य में संलग्न संस्थाओं के लिए सुरक्षा को गुणवत्ता के सतत् प्रबोधित संकेतक के रूप में देखने के लिए अपनी स्वयं की पद्धति एवं दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता है।

2.4 दिशा निर्देशों के उद्देश्य –

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति–निर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित अधिगम वातावरण का निर्माण करना है। शिक्षा प्रदान करने के वर्तमान ढांचे में विभिन्न हितधारकों द्वारा विद्यालय सुरक्षा हेतु करणीय विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करना भी नीति निर्देशों का उद्देश्य है।

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा–नीति निर्देश देश के विद्यालय शिक्षा के सभी उपक्रमों में आपदा जोखिम में कमी को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता पर बल देते है। इसके लिए राज्य के शिक्षा विभागों एवं राज्य आपदा प्रबंधन तंत्र के मध्य सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यता होगी। अधिकारियों का संवेदीकरण, आपदाओं के विषय में जनजागरण, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण, संकटकालीन आवश्यता के लिए पूर्व तैयारी उपकरण, आपदाओं पर शिक्षण सामग्री की तैयारी और जोखिम प्रबोधन जैसी क्षमता संवर्धन की गतिविधियों के लिए परस्पर सहयोग आवश्यक है।

भाग–3

कार्यक्षेत्र

3.1 बालकों के लिए सुरक्षित अधिगम वातावरण हेतु संस्थागत संकल्प को मजबूती प्रदान करना

3.2 सुरक्षा के लिए योजना

3.3 विद्यालय सुरक्षा गतिविधियों का क्रियान्वयन

3.4 सुरक्षित विद्यालयों हेतु क्षमता संवर्द्धन

3.5 जोखिम का नियमित प्रबोधन एवं योजना पुनरावलोकन

कार्यक्षेत्र

3.1 बालकों के लिये सुरक्षित अधिगम वातावरण संस्थागत संकल्प को मजबूती प्रदान करना –

सुरक्षा के बारे में सिखाने और इसको प्रचारित करने के लिये जिम्मेदार कार्यालयी ढांचे एवं तंत्र को स्थानीय जिला व राज्य स्तर पर संवेदनशील बनाना तथा मजबूती प्रदान करना सबसे पहला व सबसे जरूरी कदम होगा।

3.1.1 राज्य व जिला स्तर पर संस्थागत मजबूती प्रदान करना –

विभिन्न कानूनों के द्वारा हमारे देश में स्थापित नियामक ढांचे की समझ हेतु शिक्षा के अधिकार व आपदा प्रबंधन को समझने की आवश्यकता है। शिक्षा के इस कार्य में विद्यार्थियों व अध्यापकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि दोनों संस्थागत ढांचे आपस में सामंजस्यपूर्वक कार्य करे। ऐसा पूर्ण तैयारी, जिम्मेदारी और प्रत्युद्धरण के चरणों के द्वारा किया जा सकता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 14 वर्ष तक की आयु तक के देश के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है । इस कानून के तहत स्थापित होने वाली संस्थाओं के लिये न्यूनतम नियम व मानक विद्यालय सुरक्षा हेतु अपनाने अनिवार्य है। शिक्षा का अधिकार सब प्रकार के मौसम के अनुकूल भवनों की आवश्यकता पर बल है और भू–स्खलन, बाढ़, भू–भाग से संबंधित कठिनाइयां, सड़क सुविधाओं की कमियां आदि की समस्याओं की पहचान करता है । इस प्रकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्कूल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये मजबूती से कार्य करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण विकास योजनाओं में आपदा से बचाव तथा आपदा के प्रभाव को कम करने के एकीकृत दिशा निर्देश जारी करने व आवश्यक तकनीकी कार्मिक उपलब्ध करवाने को कहता है।

राज्य आपदा प्रबंधन अभिकरण (SDMA) सुरक्षा उपायों में राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा विभाग को सहायता एवं सम्बलन देता है। यह आवश्यक है कि जिला एवं राज्य स्तर के स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु आपसी तालमेल से कार्य करें।

शिक्षा विभाग में सुरक्षा सुझाव हेतु एक स्कूल सुरक्षा सलाहकार कमेटी का गठन भी किया जाता है । स्कूल सुरक्षा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के संयुक्त राज्य एवं जिला स्तर पर शिक्षा तंत्र प्रयासों से सुनिश्चित की जा सकेगी ।

जिला व राज्य स्तर पर इन संस्थागत प्रयासों से शैक्षणिक मूलभूत ढांचे जैसे कि जोखिम से प्रतिरोध सुरक्षा की दृष्टि से क्षमता संवर्द्धन, विद्यार्थी व समाज में आपदा के प्रति बड़े स्तर पर जागरूकता इत्यादि कार्य हो सकेंगे। समानान्तर रूप से निजी एवं सरकारी विद्यालयों को स्कूल सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु अपने प्रयासों को मजबूत बनाना होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी को यह तय करना होगा कि बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2010 के तहत उन्हीं संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाए जो भवन निर्माण के मानकों पर खरी उतरती हो। इसका नियमित रूप से निरीक्षण भी किया जाए।

इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी निर्धारित सुरक्षा नियामक प्राधिकरण के माध्यम से विद्यालय सुरक्षा हेतु मापदण्डानुसार नियमित अवलोकन करें।

ब्लॉक स्तर पर B.EEO या अन्य किसी उपयुक्त अधिकारी को स्कूल सुरक्षा को बढ़ावा देने व सुगम बनाने के लिये प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

3.1.2 संभावित आपदा हेतु स्थानीय स्तर पर संस्थागत मजबूती –

स्थानीय स्तर पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्कूल, समुदाय में बड़े तौर पर बच्चे, अभिभावक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य आदि शामिल है। इन सब लोगों की स्कूल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है और औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से स्कूल के निर्णय प्रक्रिया में ये लोग शामिल होते है यह आवश्यक है कि इन लोगों को स्कूल सुरक्षा की दृष्टि से शामिल कर संस्थागत ढांचे को मजबूती प्रदान की जाये।

SSA के तहत SMC को स्कूल सुरक्षा प्रबंध के लिये जिम्मेदार बनाया गया है। सुरक्षा कार्य सूची (एजेन्डा) के तहत SMC को स्कूल सुरक्षा को समुदाय तक ले जाने की आवश्यकता है। SMC को तदनुरूप संवदेनशील व निर्वहन के लिये तैयार करने की आवश्यकता है। स्कूल स्तर पर विद्यालय सुरक्षा के केन्द्र बिन्दू के रूप में एक अध्यापक को मुख्य शिक्षक के रूप में जिम्मेदारी निर्वहन के लिये नियुक्त किया जा सकता है। इस मुख्य शिक्षक को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित कर कार्य को मुर्त रूप दिया जा सकता है।

SMC को किसी भी आपदा की स्थिति से निपटनें के लिये प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। यह आपदा किसी भी रूप में हो सकती हैं यथा प्राथमिक उपचार, विद्यार्थियों की स्वच्छता सम्बन्धी आवश्यकताएं, भगदड़ प्रबंधन, आग प्रबधंन, प्रयोगशाला में उपलब्ध रासायनिक व खतरनाक सामग्री का रखरखाव आदि का प्रशिक्षण प्रत्येक स्कूल में SMC को उचित रूप से दिया जाना चाहिए।

प्रत्येक स्कूल को विद्यार्थियों एवं सभी शिक्षकों का एक संवर्ग बनाना चाहिए जिसमें ''क्या करें एवं क्या न करें'' के संदेशों का प्रसार प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचे एवं सभी विभिन्न आपदाओं की प्रक्रिया और तरीकों इत्यादि की चर्चा तथा प्रसार करें।

इन सभी को NCC, स्काउट–गाइड शिविर, रेड क्रॉस या अन्य कोई संस्था द्वारा जो इस कार्य के अनुरूप हो, जिला स्तर पर किया जा सकता है।

बहुत से निजी विद्यालयों में आपदा प्रबन्धन से संबंधित उपकरण उपलब्ध होते है। कुछ अभ्यास जैसे कि अग्निशमन अभ्यास, खराब मौसम की वजह से जल्दी छुट्टी देना, सड़क पार करने का अभ्यास, दुर्घटना की स्थिति का अभ्यास आदि विभिन्न उपकरणों की सहायता से करवाए जा सकते है। हालांकि इन सब तंत्र व उपकरणों की प्रकृति तथा प्रभावी शीघ्रता अलग–अलग होती है। इन सब उपकरणों एवं तंत्रों का प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाकर इन्हें समावेशी व सक्रिय बनाये जाने की आवश्यकता है।

3.2 सुरक्षा के लिये योजना –

स्कुल सुरक्षा योजना जिला व स्थानीय दोनों स्तर पर बनाये जाने की आवश्यकता है ।

3.2.1 जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) के माध्यम से –

सुरक्षा से संबंधित सभी संभावित पक्षों को शामिल करते हुए उनके हल खोजे। स्कूल कई बार आपातकालीन स्थिति में शरणगाह का काम भी करते है। इसलिये यह निश्चित किया जाना आवश्यक है कि DDMP में स्कूल सुरक्षा पर समुचित ध्यान दिया गया है।

DDMP में न्यूनतम सम्मिलित कार्य किये जाने वाले कार्यों में समुहित हैं –

जिला स्तर पर आधारभूत रेखा को और सुरक्षित बनाना ताकि संबंधित क्षेत्र के सभी संभावित खतरों से निपटा जा सकें । ऐसा त्वरित दृष्टिगत सर्वे एवं अन्य उपकरणों के द्वारा किया जा सकता है ।

आपदा की समीप्यता एवं आपदा की स्थिति में मदद पहुंचाने वाली संस्थाएं की क्षमताएं और उनके द्वारा लिये जाने वाले अनुमानित समय ।

स्थानीय परिप्रेक्ष्य में स्कूल के मूलभूत ढांचागत क्षमता एवं सुविधाएं तथा ज्ञात खतरों के प्रति प्रतिरोध की क्षमता।

स्थानीय समुदाय को स्कूल में उपलब्ध संस्थागत संसाधनों की आपदा प्रबधन की दृष्टि से सूचना।

स्कूल के आस–पास मौजूद अन्य चीजों से संभावित खतरे, उदाहरणार्थ– आस–पास कोई खतरनाक सामग्री उत्पादित करने वाली औधोगिक इकाई।

3.2.2 विद्यालय स्तर पर योजना –

स्कूल स्तर पर समग्र आपदा प्रबंधन योजना स्कुल, समुदाय एवं जिम्मेदार आधिकारिक संरचना को अलग रखते हुये नहीं की जा सकती। इसलिये ऐसी योजना बनाने का कार्य एक विस्तृत दायरे के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए करना चाहिए। इस प्रकार के प्रतिनिधियों में स्कूल तथा आस पडौस के समुदाय जिसमें स्कूल के प्रबंधनकर्ता व प्रशासक, प्रिंसीपल, स्टाफ, विद्यार्थी तथा समुदाय से महत्वपूर्ण लोग शामिल है।

यहां यह भी पहचानना आवश्यक है कि स्कूल स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना निर्माण एक स्थिर व स्थायी प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक निरंतर गतिशील व परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न विकासशील सुरक्षा जरूरते, त्वरित प्रत्युत्तर, तैयारी के चरण, भौतिक सुविधाओं का मूल्यांकन और स्टाफ एवं विद्यार्थियों का प्रशिक्षण शामिल है।

विद्यमान योजना प्रक्रिया व नवाचारों को विद्यालय स्तर पर पर्याप्त रूप से सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुये रूपान्तरित करते रहना चाहिए। निजी तथा अनुदानित संस्थाओं का भी बोर्ड द्वारा प्रभावी प्रबोधन किया जाना चाहिए। आपदा प्रबन्धन व अधिनियम एक्ट के तहत DDMA सभी स्कूलों के भवनों की सुरक्षा मानकों के अनुसार जांच करे।

SSA के तहत चलने वाले स्कूलों में वार्षिक विद्यालय विकास योजना में सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए । स्कूल विकास की वार्षिक योजना निर्माण से पूर्व सभी संभवित जोखिमों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। साथ ही उन जोखिमों का प्रतिरोध एवं उनसे निपटने की क्षमता का भी आंकलन किया जाना चाहिए। इस प्रकार आंकलन में पूर्व में घटित किसी आपदा का इतिहास, उससे प्राकृतिक नुकसान, भौतिक कारक जैसे कि विद्यालय की

अवस्थिति, बाढ़ की चिंता में पानी धारणा करने की क्षमता, भवन का संरचनात्मक ढांचा जो कि विद्यार्थियों के कल्याण को प्रभावित करता हो आदि चीजों को शामिल करना चाहिए। इसमें आपदा की स्थिति में स्कूल को शरणगाह के रूप में काम में लिये जाने सम्बन्धी स्थिति पर भी विचार होना चाहिए।

SMC के सदस्य, विद्यार्थी व अध्यापक आदि स्कूल के प्राथमिक उपयोगकर्ता होते है तथा बालकों की सुरक्षा के लिये चुनौती बन सकने वालो खतरों को पहचानने की सर्वोतम स्थिति में होते है। एक बार जब SMC का निर्माण हो जाता है और वह स्कूल सुरक्षा मामले पर केन्द्रित हो जाती है तो व्यक्तियों का एक समूह खतरा व नुकसान पहुंच सकने वाली चीजो को पहचानने में सक्रिय हो जाता है।

सहभागिता की प्रक्रिया तय करने के लिये किसी भी उपयोगी यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिये 'Hazard Hunt' (खतरों की तलाश) एक परखी हुई पद्धति है, स्कूल के भीतर व बाहर दोनों तरह से स्कूल समुदाय को खतरा पहुंचाने वाले तत्व की पहचान करता है।

इसमें उन भौतिक तत्वों की पहचान भी शामिल है जो व्यक्तिगत शारीरिक नुकसान पहुचा सकते है जैसे की गड्डे, सीमावर्ती चारदीवारी का न होना, ऐसी चीजें जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके, जैसे की दूषित पानी (पेयजल), शौचालयों व हाथ धुलाई सुविधाओं की अनुपलब्धता, साथ ही स्कूल के बाहर के कारक जैसे की यातायात, तालाब, नहर आदि। आवश्यकताओं के आंकलन के आधार पर ही SMC को विद्यालय विकास की योजना बनानी चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से इस प्रक्रिया को उपयोगी बनाने के लिये आवश्यक किट व अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं ।

योजना में स्कूल परिसर व आस–पड़ोस, दोनों में उठाये जाने वाले कदम शामिल होंगे, यथा –

1. **संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक** दोनों तरह की गतिविधियाँ के लिये अल्पकालीन योजना
2. **दीर्घकालीन हस्तक्षेप** – संरचना व गैर सरचनात्मक दोनें तरह की गतिविधियाँ के लिये दीर्घकालीन योजना।
3. **प्रशिक्षण योजना** – अध्यापकों व विद्यार्थियों के लिये।

4. **ज्ञान निर्माण योजना** – जागरूकता पैदा करना, जन समूह के संवेदनशील बनाना, बनावटी अभ्यास व फोलो अप नियमित समयबद्ध कार्य। इसमें आपदा से बचाव के यंत्रों का नियमित रखरखाव भी शामिल है।

5. **समीक्षा व अवलोकन योजना** जिसमें सुरक्षा परीक्षण, आपदा प्रबंधन यंत्रों व सामग्री की उपलब्धता।

सर्व शिक्षा अभियान इस बात का भी जिक्र करता है कि स्कूल विकास योजना भागीदारीपूर्ण तरीके से बनी सूक्ष्म योजना से उभर कर आनी चाहिए। स्कूल विकास योजना की तैयारी एक प्रमुख दल द्वारा की जानी चाहिए जिसमें गांव/बस्ती के विद्यालय विकास योजना के सदस्य, समुदाय का चयनित नेता जो कमेटी में शामिल हो, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, मुख्य अध्यापक, कुछ अध्यापक और माता–पिता, समाज के जरूरतमंद और पिछडे तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के माता–पिता शामिल हो । इसके साथ–साथ कार्यकम पर विचार विमर्श एवं मूर्त रूप प्रदान करने के लिए पंचायत स्तर पर बात होनी चाहिए ताकि अन्य योजनाओं के साथ विद्यालय सुरक्षा को जोड़ा जा सकें।

3.2.3 विद्यालय आपदा प्रबंधन –

विद्यालय में जोखिम को सीमित और नियंत्रित करने हेतु आपदा प्रबंधन की सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया को DDMA के विचारों को शामिल करते हुए विद्यालय आपदा योजना का निर्माण करना चाहिए।

इस कार्यक्रम में अन्य पहलुओं के मद्देनजर, चेतावनी प्रक्रिया, स्कूल के भीतर और बाहर संचार प्रोटोकॉल (जिसमें सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली भी शामिल है), बचाव रास्तों की पहचान, आपातकालीन वाहनों से पहुंच और विशेष आवश्यकता वाले बालकों को ध्यान आदि शामिल है। आपदा प्रबंधन में आपातकालीन यंत्रो व वस्तुओं को संग्रहण, उनका नियमित रखरखाव, आवश्यकता पड़ने पर बालको को अभिभावकों और अस्थाई स्थानों तक व्यवस्थित रूप से पहुंचाना आदि भी शामिल होना चाहिए। योजना में उस जगह का नक्शा भी शामिल होना चाहिए जिसमें योजनाबद्ध बचाव रास्ते और एकत्रित होने के स्थल भी चित्रित हों। स्कूल के प्रत्येक कक्ष पर भी ऐसे नक्शे चित्रित हो। प्रत्येक स्कूल नक्शे के योजना की एक प्रतिलिपि इन तमाम विवरणों के साथ DDMA में जमा करवाई जानी चाहिए ताकि उसे DDMP में शामिल किया जा सकें।

3.3 विद्यालय सुरक्षा गतिविधियों का क्रियान्वयन :–

3.3.1 नये विद्यालयों में उचित जगह, डिजाइन और ढांचागत सुरक्षा का ब्यौरा होना जरूरी हो। समस्त नए–पुराने स्कूल राष्ट्रीय स्थापत्य मानकों के अनुरूप सुरक्षा मानदण्डों का पालन करे। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा बनाए किसी अन्य नियमों का भी पालन हो।

इनमें से कुछ कार्य निम्न प्रकार :–

नए स्कूलों हेतु ऐसी जगह का चुनाव किया जाए जहाँ आकस्मिक प्राकृतिक खतरों को कम करने के उचित साधन हों। प्राकृतिक रूप से असुरक्षित स्थल पर स्थित स्कूलों को या तो सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए या वहां सम्भावित प्राकृतिक खतरों से निपटने हेतु उचित सहायता व्यवस्था हो।

समस्त नये विद्यालय भवनों को आपदारोधी तरीके से निर्मित किया जाए। पहले से निर्मित भवनों की मरम्मत वहां के सम्भावित आपदा के खतरे के अनुरूप की जाए।

सुरक्षित एवं बालकों को अनुकूल सुविधाएँ प्रदान करने हेतु निर्धारित डिजाइन काम में लिए जाए।

स्कूल निर्माण और इसके घटकों के मानक आधारित डिजाइन जैसे गलियारे, सीढ़ियां, पास के क्षेत्र और निर्माण की गुणवत्ता राष्ट्रीय भवन मानदण्ड 2005 के नियमानुसार हो। विद्यालय भवन के निर्माण में केवल आग न पकड़ने वाले, अग्निरोधी, उष्णतारोधी सामग्री ही प्रयोग में ली जाए।

पहले से मौजूद विद्यालय भवन की खड़ाई में विस्तार किसी मान्यता प्राप्त सिविल या संरचनात्मक इंजीनियर के बिना प्रमाणित किए ना किया जाए।

अतिरिक्त कक्षा–कक्ष या किसी भी अन्य प्रकार के निर्माण हेतु क्षैतिज विस्तार जगह की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए किया जाए तथा उपस्थित ढांचे के फैलाव हेतु दूसरी यूनिट बनाते वक्त डिजाइन इस तरह हो जिसमें भूकम्प का कम से कम असर पड़े।

आसान बचाव के लिए प्रत्येक कक्षा–कक्ष में दो दरवाजे हो तथा पर्याप्त हवा और प्रकाश हेतु उचित झरोखे और खिड़कियां हो।

दरवाजे बाहर की तरफ खुले और गलियारे उचित चौड़ाई के हो।

ये सभी कार्य एक राज्य स्तरीय मानक तकनीकी एजेंसी (जो कि जिला स्तर पर कार्य हेतु नियुक्त हो) के पैनल के मार्गदर्शन और सहायता से सम्पादित हो। विद्यालय भवनों की विशिष्ट डिजाइन और व्यवस्था बालकों के सुरक्षा मानदण्डों के अनुरूप हो ।

इस विवरण के साथ–साथ निर्माण में सुरक्षित और बालक अनुकूल व्यवस्थाओं हेतु समस्त विद्यालय विकास अवधारणा के डिजाइन उपायों को भी ध्यान में रखा जाए। समग्र विद्यालय विकास अवधारणा में स्कूल सुरक्षा से सम्बन्धित तत्वों को शामिल किया जाए।

3.3.2 विद्यालयों में गैर–संरचनात्मक सुरक्षा उपाय –

विद्यालय परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संरचनात्मक के साथ गैर–संरचनात्मक सुरक्षा उपायों को भी ध्यान में रखना आवश्यक हैं ये अधिकतर निम्न बजट और नियमित रखरखाव की चीजें है जो विद्यालय अपने निजी कोष से कर सकता है।

सभी प्रकार के फर्नीचर जेसे अलमारी, ताख, श्याम–पट्ट आदि के साथ साथ वे समस्त चीजें जो गिरकर किसी बालक को नुकसान पहुंचा सकती है जैसे छत पंखे, कूलर, पानी की टंकियां आदि को फर्श पर या दीवार के सहारे सुरक्षित रखा जाए।

विद्यालय उन विद्युत उपकरणों पर तुरंत ध्यान दे जैसे ढीले तार जिससे कोई भी अनहोनी हो सकती है। स्कूल प्रयोगशाला में रासायनिक या कोई अन्य नुकसानदायक चीजों का रख–रखाव और संग्रहण दिशा–निर्देशों के अनुसार हो जिससे किसी बालक या स्टाफ को किसी प्रकार की हानि ना हो।

खुले स्थान जैसे गलियारे ओर बचाव रास्तों (सीढ़ियां और रैंप आदि) को किसी भी तरह की बाधा से मुक्त रखा जाए ताकि जरूरत पड़ने पर बचाव कार्य आसानी से और तेजी से हो सकें।

गलियारे या बरामदे में बर्तन/गमले आदि को इस तरह रखा जाए कि जरूरत पडने पर बचाव कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं हो।

कोई छोड़ी हुई या काम में न ली जाने वाली इमारत या मलबे वहां से हटा दिया जाए ताकि वहां से कोई बालकों के नुकसान पहुंचाने वाले जीव या कीट पैदा ना हो सकें।

बालकों के आने और जाने के समय उनकी सुरक्षा हेतु स्कूल के सामनें यातायात गतिविधियाँ समुचित हो ऐसा प्रयास किया जाए।

भ्रमण के दौरान विद्यालय को भ्रमण स्थल और यात्रा की योजना का चुनाव करते समय बालकों की सुरक्षा का सम्पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि छात्रों को जल स्त्रोत या संकरे पहाड़ों आदि के बीच ले जाना हो तो अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए। स्कूल का अपना या किराये पर ली हुई बस या अन्य वाहन की उचित देखभाल हो ताकि बालक दुर्घटना जैसे खतरे से बच सके। चालकों को गति सीमा व वाहन को सही तरीके से रोकने के साथ–साथ आपातकालीन स्थिति का भी उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि बच्चे स्कूल और घर के बीच सुरक्षित यात्रा कर सके।

विद्यालय प्रशासन को आपातकालीन उपकरण जैसे अग्निशमन, प्राथमिक उपचार पेटी, रस्सियाँ इत्यादि हमेशा रखनी चाहिए।

समग्र विद्यालय विकास योजना (WSDP) विद्यालय समुदाय के नजरिये से विद्यालय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है।

आग नियंत्रण व अग्नि सुरक्षा –

विद्यालय के प्रारम्भिक डिजाइन में आग नियंत्रण व अग्नि सुरक्षा के उपाय शामिल होने चाहिए और इसकी नियमित जांच और रखरखाव भी होना चाहिए। इस हेतु निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाए –

ज्वलनशील और खतरनाक पदार्थों को सीमित एवं पृथक किया जाए, इसमें विद्युत लाइन ओर उपकरण, हीटर और स्टोव, प्राकृतिक गेस पाइप लाइन तथा एलपीजी के कनस्तर व ज्वलनशील द्रव पदार्थ शामिल है।

आग जैसी घटनाओं के समय बाहर निकलने के रास्ते बिल्कुल साफ हो ताकि राहत और बचाव तेजी से हो सके।

खोज और चेतावनी तंत्र (खासकर शहरी क्षेत्रों) चालू स्थिति में रहे।

अग्निशमन यंत्रों का नियमित पुनर्भरण किया जाए।

अन्य अग्नि सम्बन्धी पदार्थों व उपकरणों का नियमित रखरखाव एवं देखभाल हो।

विद्युत व्यवस्था के उपकरणों का रखरखाव तथा ये सुरक्षित चलाने लायक स्थिति में हो।

3.3.3 विद्यालय परिसर को सुरक्षित बनाने हेतु मुख्य कार्यक्रमों से लाभ उठाना –

जो क्षेत्र आपदा ग्रसित है वहां विद्यालयों में आपातकाल के दौरान व उसके बाद बच्चों की मदद सुनिश्चित की जाए । स्कूल किसी भी समुदाय के लिए न केवल विभिन्न उद्देश्यों हेतु

बच्चों के लिए बल्कि उनके परिवारों और समुदायों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए स्थानीय अधिकारियों को स्कूल की सुरक्षा के प्रति अत्यंत गंभीरता दिखानी चाहिए।

स्कूल अपने आस–पास के सामुदायिक वातावरण में बच्चों और अध्यापकों के माध्यम से 'सुरक्षा संस्कृति' विकसित कर सकते हैं। अतः स्कूल विद्यालय सुरक्षा का प्रश्न स्वयं विद्यालय से भी बड़ा है।

विद्यालय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केवल विद्यालय सत्ता ही काफी नहीं है। इसका विस्तृत रूप देखा जाए तो विद्यालय की सुरक्षा प्रदान करने में समुदाय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है । विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालय को कई सुविधाएं प्रदान की जाती है। प्रायः इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित के दौरान सुरक्षा मानदण्डों को अनदेखा कर दिया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान यह भी मानता है कि सक्ष्म योजना अभ्यास का पालन करते हुए, ब्लॉक और जिलों को चाहिए कि व देखें कि उपलब्ध स्त्रोतों या केन्द्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से युक्तिकरण द्वारा कौनसी जरूरतों की पूर्ति की जा सकती है। ब्लॉक टीमों से विचार–विमर्श कर संकुल इकाई की विद्यालय विकास योजना का मुल्यांकन किया जाए और ब्लॉक स्तर की योजनाओं का मूल्यांकन जिला स्तर इकाई द्वारा किया जाए ।

विद्यालय विकास योजना में कोष के विभिन्न घटक सर्व शिक्षा अभियान, पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, निर्मल भारत अभियान, जनजातीय क्षेत्रों की उपयोजनाएं, MPLAD आदि है जिनमें पंचायती राज संस्थान/ शहरी स्थानीय निकाय ओर अन्य स्थानीय स्तर के निकाय उनकी सहायता करते है तथा अपनी भागीदारी निभाते है। स्कूल विकास योजना के घटक जिनको पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि हेतु पंचायत योजना से जोड़ा जा सकता है। इन सब में समन्वयक हो ताकि गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त किये जा सके जिसमें बच्चों की सुरक्षा केन्द्र में रहे।

वे गतिविधियाँ जो विद्यालय अपने स्तर पर कर सकता है जिनमें गैर संरचनात्मक उपाय जैसे बचाव रास्तों को साफ करना, ढीली और लटकती वस्तुओं को व्यवस्थित करना आदि है जो विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा सम्पादित की जा सकती है।

3.4 सुरक्षित विद्यालयों हेतु क्षमता संवर्द्धन –

विद्यालय स्तर पर सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु गहन समझ और हितधारकों की स्कूल सुरक्षा के प्रति क्षमता एवं सवेंदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण सम्बलनदायी तत्व है।

विद्यालय की सुरक्षा के लिए क्षमता संवर्द्धन एवं जागरूकता हेतु प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षकों, विद्यार्थियों और विद्यालयों के अन्य स्टाफ के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाए जिसमें गतिविधि, ज्ञान, कौशल और नियमित मूल्य वृद्धि का अनुवर्ती पालन समाहित हो ।

क्षमता संवर्द्धन कार्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है :–

1. **छात्रों तथा स्कूल कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशिक्षण**

- इस प्रशिक्षण में ऐसी संभावित आपदाओं के लिए बचाव तंत्र को मजबूत करना शामिल होगा जो स्कूल समुदाय को प्रभावित कर सकती हैं आपात निकासी की समुचित व्यवस्था।
- निकासी मार्ग और सुरक्षित स्थान और आश्रय स्थलों का ज्ञान।
- प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी सम्बलन
- आपदा के पश्चात् व्यक्तिगत और समूह परामर्श और सम्बलन की उपलब्धता।
- आपदा प्रबंधन योजना के उन घटकों को समय–समय पर अद्यतन करना जो विद्यालय की सुरक्षा को प्रभावित करते है।

ये प्रशिक्षण आपदा बचाव की तैयारी के लिए आवश्यक है और स्कूल स्तर की आपदा प्रबंधन योजनाओं के रूप में नियमित रूप से आयोजित किये जाने चाहिए साथ ही आवश्यकता के अनुसार प्रभावी निष्पादन के लिए शिक्षकों को बच्चों के साथ मिलकर बनावटी अभ्यास करना चाहिए । स्थानीय खतरों से बचाव हेतु चर्चाओं, सड़क नाटकों, कला प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, निबंध अथवा नारा लेखन और प्रदर्शन के माध्यम से प्रांसगिक ज्ञान और जीवन कौशल के साथ जोखिम में कमी के लिए जागरूकता कार्यकम बच्चों को एक सार्थक ढंग से शामिल करने का सिद्ध तरीका है। इसके अतिरिक्त रैलियों, खेल समाचार और अन्य सामुदायिक स्तर की गतिविधियों हेतु बच्चों के साथ–साथ बड़े समुदाय को जागरूक करने के लिए राज्य आपदा प्रबन्धन अधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा संगठित प्रयास किया जा सकता है।

2. **विशेष प्रशिक्षण और कौशल निर्माण –**

- स्कूल आपदा प्रबंधन योजना के भाग के रूप में विशेष भूमिकाएं निर्वहन करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- स्कूल आपदा प्रबधंन योजना के भाग के रूप में विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सौंपा गया विशिष्ट कार्य और प्रक्रियाएं यथा प्राथमिक चिकित्सा खोज और बचाव आदि ।
- स्कूल सुरक्षा हेतु मुख्य अध्यापक और प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल की विकास योजना विद्यालय की मुख्य जरूरतों का मूल्यांकन, एकीकरण तथा विद्यालय सुरक्षा हेतु समन्वय ।
- छात्रों के लिए मनो सामाजिक संम्बलन हेतु परामर्श तनाव प्रबन्ध कौशलों का विकास साथ ही विद्यालय पाठ्यक्रम में उचित परिवर्तन ।

ऐसे विशिष्ट कौशलों का प्रशिक्षण विशिष्ट संस्थानों द्वारा दिया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को एक संयुक्त योजना कार्यविधि विभिन्न एजेन्सियों (SDRP, रेडक्रॉस) आदि के साथ मिलकर बनानी चाहिए। बचाव, खोज अभियान एवं प्राथमिक चिकित्सा जैसे व्यवहारिक, कौशलों के विकास हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा राज्य आपदा बचाव दल (SDRF) को शिक्षा अधिकारियों, SMC, मुख्य शिक्षक एवं विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु शामिल करना चाहिए।

मुख्य शिक्षक के साथ–साथ विद्यालय के अन्य शिक्षकों को भी राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से आपदा प्रबंधन हेतु संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। साथ ही जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान (DIET) को भी अपने सेवापूर्ण एंव सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को शामिल करना चाहिए।

आपदा प्रबंधन हेतु मुख्य शिक्षकों को अपनी उचित भूमिका का निर्वहन हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। राज्य शिक्षा एवम् अनुसंधान परिषद (SIERT) द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर विद्यालय स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों द्वारा सभी हितधारकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से विचार विमर्श कर विद्यालय सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालन राज्य शिक्षा एवम् अनुसंधान परिषद (SIERT) द्वारा

किये जाने चाहिए साथ ही राज्य शिक्षा एवम् अनुसंधान परिषद (SIERT) को विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए आपदा प्रबन्धन पर बाल सुलभ शिक्षण अधिगम सामग्रीं का निर्माण करना चाहिए।

विद्यालय की सुरक्षा आवश्यकताओं एवं विकास योजनाओं के मूल्यांकन हेतु SMC को प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। जो त्रैमासिक अंतराल पर हो। इससे विद्यालय में विद्यमान संसाधन यथा सुरक्षित जल, स्वच्छता, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन यंत्रों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित होगा।

समकक्षों की शिक्षा और बाल अनुकूल तरीके का उपयोग –

आपदाओं पर विशिष्ट ज्ञान देने के लिए समकक्षों की शिक्षा एक रणनीति है जो स्कूल में प्रत्येक छात्र तक पहुंचती है। यह स्कूल में और समुदाय के छात्रों में नेतृत्व कौशल के विकास हेतु सुविधाजनक है। आपदा प्रबंधन समकक्षों की शिक्षा को धमकाने, हिंसा के किसी भी अन्य घटनाओं के मामले में मध्यस्थता के लिए विस्तारित किया जा सकता है जो विद्यार्थियों द्वारा स्वयं हल किए जा सकते है। कौशल निर्माण की प्रक्रिया में बाल सुलभ अनुकूल तकनीक का उपयोग किया जाना महतवपूर्ण है। गाने, नाटक, कठपुतली प्रदर्शन, चित्रकला प्रतियागिताओं, क्विज प्रतियोगिता, निबंध/नारा लेखन और प्रदर्शन का प्रयोग बच्चों को ज्ञान और कौशल को स्थानांतरित करने के सशक्त माध्यम है।

3.5 राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति मार्गदर्शन की क्रियान्विति –

राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी की जानी चाहिए। राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशा निर्देशों की कार्यान्विति का प्रबोधन किये जाने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान स्कूल की बुनियादी सुविधाओं के प्रावधानों पर व्यापक दिशा–निर्देश प्रदान करता है। इसलिए बच्चों के लिए आपदा जोखिम की निगरानी राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की सहायता में विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर की जा सकती है। राज्य एवं जिला स्तर पर निजी एवं अनुदानित विद्यालयों के लिए स्कूल की सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2010 के उप नियम (4)15 के तहत मान्यता प्रमाण–पत्र केवल उन स्कूलों के लिए जारी किया गया है जो भवन निर्माण मानक से सुरक्षा मानदंडो का

पालन करते है। इसकी अनुपालना नियमित आधार पर किये जाने की आवश्यकता है। जिला शिक्षा अधिकारी और किसी भी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी अन्य नियामक प्राधिकारी द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी भी मौजूदा निगरानी प्रारूप में अनिवार्य रूप से स्कूल सुरक्षा मापदण्ड शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले को ब्लॉक स्तर पर स्कूल सुरक्षा की निगरानी और सुविधा के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को नामित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यालय छात्रो और शिक्षकों के लिए सुरक्षित रहे, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यालय विकास योजना की समीक्षा नियमित रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा तिमाही आधार पर की जाए । विद्यालय विकास योजना के कार्यान्वयन के दौरान उभरने वाले खतरों और अतिरिक्त खतरों के मामले भी सामने आ सकते है। इन्हें समीक्षा की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय विकास योजना में समन्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जोखिम भी हो सकते है यथा मुख्य पाठ्यक्रम में आपदा प्रबन्धन समुदाय में सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के लिए विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं स्टाफ के क्षमता संवर्द्धन हेतु समर्पित कार्यविधि की आवश्यकता है। सुरक्षा संस्कृति का विकास शैक्षिक संस्थागत तंत्र एवं आपदा प्रबन्धन से जुड़ी संस्थाओं (SDMA/DDMA) के सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। इस हेतु पाठ्यक्रम निर्माण में संलग्न संस्थाएं यथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राज्य शिक्षा बोर्ड आदि राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार विद्यार्थियों की आयु के अनुकूल आपदा प्रबन्धन के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञानयुक्त पाठ्यक्रम विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

जीवन कौशल, स्वास्थ्य–संवर्द्धन, बीमारियों के रोकथाम पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है।

शौचालयों की सफाई और पीने के पानी की गुणवत्ता आदि की समय–समय पर निगरानी करनी होगी।

भाग –4

विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

4.1 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

4.2 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

4.3 राष्ट्र स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण

4.4 राज्य स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण

4.5 जिला एवं ब्लॉक स्तर शिक्षा प्राधिकरण

4.6 एस.सी.ई.आर.टी. एवं डाइट

4.7 विद्यालय प्रशासन

4.8 विद्यालय नियामक प्राधिकरण

4.9 पंचायत राज संस्थाएं/शहरी स्थानीय निकाय

4.10 विद्यालय बालक

4.11 गैर सरकारी संगठन (स्थानीय/क्षेत्रीय/अन्तराष्ट्रीय)

4.12 निगमित निकाय

4.13 अन्तर्राष्ट्रीय कोष एजेन्सी एवं संयुक्त राष्ट्र संघ

4.14 मीडिया

भाग – 4

विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

बालको को सीखने के लिए सुरक्षित वातावरण के अधिकार को प्रदान करने का कार्य केवल एवं संस्था नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति के अनुसार, हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की अनिवार्यता के लिए, यह किसी एक व्यक्ति अथवा संस्था की नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की दायित्व है। इसके लिए राष्ट्र, राज्य एवं स्थानीय शासन के मध्य अधिक व्यवहारिक समन्वय होना आवश्यक हैं, जिससे बच्चों, शिक्षकों एवं उनके परिवारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकें। केवल प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, भूकम्प आदि) के लिए ही नहीं, वरन् छुपे हुए जोखिमों, जिन्हें व्यापक रूप से सुरक्षा के अन्तर्गत लिया जाता है के लिए भी इन सभी संस्थाओं को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता हैं चाहे वह सरकारी, निजी अथवा अनुदानित संस्था हो।

विभिन्न हित धारकों के कार्य एवं उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं –

4.1 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) –

1. आपदा से पूर्व, दौरान एवं पश्चात् की सभी योजनाओं, नीतियों, प्रक्रियाओं और विद्यालय सुरक्षा के न्यूनतम मापकों के विकास के लिए सहयोग एवं शिक्षा अधिकारियों से समन्वय करना। इसके लिए राजय परियोजना निदेशक, SSA और अन्य संबंधित अधिकारी, NGO, निजी संस्थाएँ जो कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के भाग हैं, द्वारा समन्वयपूर्वक कार्य किया जा सकेगा ।
2. सुनिश्चित किया जाये कि स्कूल सुरक्षा पर SDMP द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जावें ।
3. विद्यालयों के औपचारिक पाठ्यक्रम में आपदा प्रभाव में कमी हेतु प्रशिक्षण तत्वों के समावेश हेतु शिक्षा विभाग को सहयोग प्रदान करना।
4. विद्यालय सुरक्षा सन्दर्भ शिक्षक, तथा विद्यालय प्रबन्धन समिति सदस्यों को उनके विद्यालयों में सुरक्षा मानकों के विकास हेतु शिक्षा विभाग को प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करना ।

4.2 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण –

1. आपदा से पूर्व, दौरान एवं पश्चात् के लिये आपदा प्रबन्धन की योजना, नीति एवं प्रक्रिया एवं विद्यालय सुरक्षा हेतु न्यूनतम मापकों के विकास हेतु शिक्षा अधिकारियों को शामिल करना एवं सहयोग प्रदान करना। यह कार्य जिला शिक्षा अधिकारी, अन्य अधिकारीगण, गैर सरकारी संगठन, निजी संस्थाऐं जिला आपदा प्रबन्धन समिति के भाग के रूप में समन्वयपूर्वक सम्पन्न कर सकती है।
2. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्कूल सुरक्षा पर जिला आपदा प्रबन्धन योजना द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।
3. विद्यालय सुरक्षा सन्दर्भ शिक्षक, तथा विद्यालय प्रबन्धन समिति सदस्यों को उनके विद्यालयों में सुरक्षा मानकों के विकास हेतु शिक्षा विभाग को प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करना ।
4. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयी भवन का निर्माण बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भवन संहिता एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप किया जावें।
5. प्रशिक्षकों एवं सह प्रशिक्षकों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना।
6. स्कूल सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं का जिला आपदा प्रबन्धन योजना में समावेश।
7. सक्रिय रूप से विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए समय–समय पर मॉक ड्रिलस् का आयोजन।

4.3 राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्राधिकरण –

1. राज्य कों को विद्यालयी सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु आपदा अवरोधी संसाधन उपलब्ध कराए जाए।
2. विद्यालय को आपदा अवरोधी एवं बाल अनुकूल निर्मित करने हेतु पुनः संयोजन (Retrefitting) के संसाधन उपलब्ध कराए जावें।
3. आपदा प्रभाव में न्यूनता को सभी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जावें।
4. राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को यह सुनिश्चित करें कि छात्रों को आपदा प्रबन्धन के अतिरिक्त उनकी सम्पूर्ण सुरक्षा हेतु शिक्षित किया जा सकें।

4.4 राज्य स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण –

1. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालयी बच्चों की सुरक्षा के लिए, जो भी तकनीकी सुझाव दिए जाए वो राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के तत्वाधान (देख–रेख) में दिए जाए।
2. इस तरह की राजनीति योजनाएं एवं नियम तैयार किये जाएं कि नई बनने वाले सभी स्कूल भवन एवं कक्षा–कक्ष आपदा संरक्षित तरीके से बनाये जाए।
3. आपदारोधी बनाने हेतु समय–समय पर संसाधन एवं मरम्मत व्यय उपलब्ध करावें।
4. आपदा प्रभाव में न्यूनता को सभी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जावें।
5. राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को यह सुनिश्चित करें कि छात्रों को आपदा प्रबन्धन के अतिरिक्त उनकी सम्पूर्ण सुरक्षा हेतु शिक्षित किया जा सकें।
6. अधिगम संवर्द्धन कार्यक्रमों के निरीक्षण प्रपत्रों में विद्यालय सुरक्षा से सम्बन्धित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित संकेतकों को सम्मिलित किया जाए।
7. यह सुनिश्चित किया जाए कि अन्य संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के आस–पास प्रयोग किये जाने वाले उपकरण सुरक्षा तत्वों को ध्यान में रखकर तैयार किये जावें।
8. राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को यह निर्देश दिया जाए कि विद्यालयी सुरक्षा के लिए दक्ष प्रशिक्षक तैयार करें। प्रत्येक डाइट से MT (दक्ष प्रशिक्षक) को प्रशिक्षित किया जाए, जो छात्रों और शिक्षकों को विद्यालय सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें। प्रत्येक डाइट के दक्ष प्रशिक्षक (MT) द्वारा प्रत्येक जिले से रिसोर्स पर्सन/शिक्षक को विद्यालयी सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

4.5 जिला एवं ब्लॉक स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण –

1. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ विद्यालयी बच्चों की सुरक्षा से सम्बन्धित तकनीकी एवं सुझाव की ओर ध्यान देते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा का दायित्व स्वीकार करें।
2. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ मिल कर जिला आपदा प्रबन्धन योजना को विद्यालयी सुरक्षा के लिए तैयार की जानी चाहिए, साथ ही, यह भी सुनिश्चित

किया जाए कि आपदा के पश्चात् विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को, जितना जल्दी हो सकें, दुरस्त किया जाए।

3. शाला प्रबन्धन को शिक्षकों एवं छात्रों की सुरक्षा के लिए आपदा रोकथाम, प्रभावों की न्यूनता एवं आपदा तैयारी तथा आपदा प्रत्यूत्तर का दायित्व प्रदान करें।
4. इस तरह की राजनीति योजनाएं एवं नियम तैयार किये जाएं कि नई बनने वाले सभी स्कूल भवन एवं कक्षा–कक्ष आपदा संरक्षित तरीके से बनाये जाए।
5 यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नये विद्यालय भवन एवं कक्षाकक्ष का निर्माण आपदा अवरोधी होने के साथ–साथ बालकों के अनुकूल हो।
6. विद्यालय को आपदा अवरोधी एवं बाल अनुकूल निर्मित करने हेतु पुनः संयोजन (Retrefitting) के संसाधन उपलब्ध कराए जावें।
7. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को यह निर्देश दिए जाए कि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में स्कूल सुरक्षा प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जावें।
8. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयी भवन का निर्माण बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भवन संहिता एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप किया जावें।
9. प्रत्येक जिले से एक दक्ष प्रशिक्षक प्रशिक्षित किये जावे जो शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों को विद्यालयी सुरक्षा नियमों की जानकारी दे सकें।

4.6 राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान –

1. विद्यालयी सुरक्षा को स्कूल शिक्षा का आवश्यक तत्व मानते हुए शिक्षकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करना।
2. आपदा जोखिम एवं इसमें कमी विषय पर शिक्षक प्रशिक्षणों हेतु रूचिकर माड्यूल का विकास करना।
3. पाठ्यक्रम में समावेश हेतु बाल अनुकूल एवं आपदा जोखिम से संबंधित विचारणीय सामग्री का विकास करना।
4. विद्यालय सुरक्षा सन्दर्भ शिक्षकों को प्रशिक्षित करना।

5. यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय प्रशासन द्वारा समस्त कक्षाओं में आपदा उन्मूलन सम्बन्धी प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम एवं समय विभाग चक्र में सम्मिलित किया जाए।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय प्रशासन द्वारा सप्ताह में एक बार स्कूल सुरक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापों का अनुवर्तन किया जाए।
7. नियमित निरीक्षणों में विद्यालय सुरक्षा सम्बन्धी संकेतकों का समावेश।
8. विद्यालयों को सुरक्षा विषयों को विद्य़ालय विकास योजना में सम्मिलित करने हेतु सहयोग।
9. विद्यालय सुरक्षा विषयों पर अन्तर विद्यालयी विमर्श को प्रोत्साहित करना।

4.7 विद्यालय प्रशासन –

1. जीवन कौशल गतिविधियों के लिए समय एवं साप्ताहिक ज्ञान की व्यवस्था करना।
2. विद्यालय विकास योजना में स्कूल सुरक्षा तत्वों का समावेश।
3. यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय के समस्त शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ को आपदा प्रबंधन का समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
4. सुरक्षा अभ्यासों में पंचायत राज संस्थाओं/स्थानीय शहरी संस्थाओं तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को सम्मिलित करना।
5. सुनिश्चित करें कि स्वयं के विद्यालय भवन में उपयुक्त सुरक्षा मापक उपयोग किये जा रहे है।
6. विद्यालय व आपदा प्रबन्धन योजना निर्मित करने एवं लागू करने में विद्यालय समुदाय, छात्र एवं चुने हुए प्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
7. परिवारों एवं समाज को आपदा प्रबन्धन संबंधी जानकारी से अवगत कराने तथा प्रचार–प्रसार हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना, तथा संबलन प्रदान करने हेतु समुचित कार्यविधि संचालित करना।

4.8 विद्यालयों के पंजीकरणकर्ता एवं मान्यता प्रदाता प्राधिकरण –

1. विद्यालय मान्यता हेतु सुरक्षित अधिगम पर्यावरण की उपलब्धता को मानदण्डों में सम्मिलित करना।

2. नवीन मान्यता अथवा सम्बद्धता हेतु आवेदन करने वाले विद्यालयों में स्कूल सुरक्षा से संबंधित समुचित नियोजन की सुनिश्चितता करना।
3. निजी शिक्षण संस्थाओं की मान्यता जारी रखने के लिए सुरक्षा मानदण्डों के समुचित संधारण की सतत निगरानी को मानदण्डों में सम्मिलित करना।

4.9 पंचायत राज संस्थाएँ एवं स्थानीय नगर निकाय –

1. स्कूल सुरक्षा योजना कार्यक्रमों में प्रभावी भागीदारी।
2. विद्यालय एवं उसके समीपवर्ती स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधों को ध्यान में रखते हुए आधारभूत संरचनाएँ एवं अन्य ढांचे निर्मित किए।

4.10 विद्यार्थी –

1. विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर सीखाये जाने वाले आपदा प्रबंधन संबंधी सिद्धांतों एवं गतिविधियों को पूर्ण मनोयोग से सीखना ।
2. आस–पास में आपदा संबंधित खतरों को प्रसंज्ञान लेना एवं उनके निराकरण हेतु सक्रिय भूमिका निभाना।
3. विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में भागीदारी।
4. विद्यालय एवं आस–पास में आपदा प्रबंधन बाबत् मॉक ड्रिल एवं रणनीति निर्माण में समुचित भागीदारी।
5. विद्यालय में आपदा प्रबंधन एवं आपदा निराकरण से संबंधित अर्जित ज्ञान को परिवार एवं समाज में प्रसारित करना।

4.11 गैर सरकारी संगठन (स्थानीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय) :–

1. स्कूल सुरक्षा हेतु नीति निर्माताओं से समुचित संबंध एवं पुख्ता सुरक्षा प्रणाली की प्रतिबद्धता हेतु पैरवी करना।
2. स्कूल सुरक्षा प्रणाली प्रयासों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्कूल सुरक्षा से संबंधित शिक्षकों एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
3. सुरक्षा संबंधित नवीन ज्ञान एवं नवाचारी शोधों के निष्कर्षों की उपलब्धता एवं विद्यालयों तक उनकी पहुंच हेतु विभिन्न शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं शोध संस्थाओं से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करना।

4. स्थानीय, जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं वैश्विक, विभिन्न स्तरों पर आयोजन कार्यक्रमों में आपदा एवं सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित अर्जित ज्ञान एवं जानकारी के अपने भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित समस्त विद्यालयों तक पहुंचाना।
5. विद्यालय शिक्षा में आपदा प्रबंधन की नवीनतम जानकारी को मुख्य धारा के विकास कार्यक्रमों के साथ समन्वय की यथासंभव पैरवी करना।
6. दानदाताओं तथा नीति निर्माताओं के समक्ष स्कूल सुरक्षा एवं आपदा निराकरण विषयक मुद्दों के शिक्षण–प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण हेतु तैयार करने का दायित्व ग्रहण करना।
7. शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु प्रबोधन विकास की सुविधा उपलब्ध करवाना।

4.12 सार्वजनिक निगम एवं संस्थाएं –

1. स्कूल सुरक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न गतिविधियों के मार्फत संबलन एवं सहयोग प्रदान करना, जैसे सुरक्षित स्कूलों का निर्माण, वर्तमान में संचालित स्कूलों की मरम्मत, सुरक्षा के संबंध में जागरूकता निर्माण, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की क्षमता संवर्धन संबंधी कार्यक्रम इत्यादि।
2. किसी भी निगम अथवा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निर्मित अथवा संरक्षित स्कूलों में सुरक्षा संबधी मानदण्डों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करना।

4.13 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अभिकरण एवं संयुक्त राष्ट्र संघ –

1. स्कूल सुरक्षा हेतु नीति निर्माता अभिकरणों को सहयोग एवं संबलन प्रदान करना।
2. स्कूल सुरक्षा एंव आपदा निराकरण के प्रत्येक स्वरूप को विकसित करने हेतु प्रशंसनीय कार्य करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों की पहचान।

4.14 संचार माध्यम –

1. आपदा निराकरण संबंधी विषयों एवं मुद्दों के शिक्षण प्रशिक्षण में भागीदारी ।
2. स्कूल सुरक्षा संबंधी विषयों के प्रकाशन प्रसारण एवं वातावरण निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका का निवर्हन करना एवं उनके निस्तारण हेतु उचित कवरेज देना।

3. बच्चों तथा विद्यालयों के विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा संरक्षा हेतु, मानक संहिता के निर्माण, क्रियान्वयन एवं परिमार्जन में समुचित भागीदारी निर्वहित करना।

भाग – 5

हितधारकों के लिए क्रिया बिन्दु

विषय वस्तु –

1. राष्ट्रीय स्तर
2. राज्य स्तर
3. जिला स्तर
4. विद्यालय स्तर

भाग–5

हितधारकों के लिए क्रिया बिन्दु

विद्यालय सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और विद्यालय स्तरों पर ठोस कार्यवाही की जाए । विभिन्न हितधारकों के लिए इन कार्यवाही क्रिया बिन्दुओं का सारांश नीचे दिया गया है –

5.1 राष्ट्रीय स्तर –

क्र.सं.	कार्य	किसके द्वारा	कब / कितने अन्तराल से
1.	**विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित अधिगम के वातावरण के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण की प्रतिबद्धता को मजबूत करना –**		
	(i) विद्यालय सुरक्षा से सम्बन्धित दिशा–निर्देश जारी करना एवं राज्य द्वारा उनकी अनुपालना का प्रबोधन	मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (MHRD)	आवश्यकतानुसार
2.	**विद्यालय सुरक्षा का प्रबोधन**		
	(i) विद्यालय सुरक्षा नीति के दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन का प्रबोधन	MHRD & NDMA (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)	वार्षिक

5.2 राज्य स्तर –

क्र.सं.	कार्य	किसके द्वारा	कब / कितने अन्तराल से
1.	**विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित अधिगम के वातावरण के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण को प्रतिबद्धता को मजबूत करना –**		
	(i) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हिस्से के रूप में राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोगी रूप में शामिल करना ।	SDMA (राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)	तुरन्त / एक बार
	(ii) विभाग के स्कूल सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के साथ मिल कर कार्य करना एवं समीक्षा करना ।	SDMA शिक्षा विभाग	तुरन्त / एक बार

	(iii) विद्यालय सुरक्षा हेतु शिक्षा विभाग को सलाह देने के लिए राज्य स्तर पर एक स्कूल सुरक्षा सलाहकार समिति का गठन करना ।	SDMA शिक्षा विभाग	तुरन्त/एक बार
	(iv) राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थागत ढांचा एवं सम्बन्धित कार्य प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित करना ।	SDMA	वार्षिक
	(v) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को जिला स्तर पर विद्यालय सुरक्षा हेतु सलाहकार समिति का गठन का सुझाव देना ।	SDMA	तुरन्त/एक बार
2.	**सुरक्षा के लिए योजना –**		
	(i) विद्यालयों को सुरक्षित बनाने हेतु जिलेवार सूची तैयार करना ।	SDMA शिक्षा विभाग	तुरन्त/एक बार
	(ii) SSA/RMSA के अन्तर्गत मुख्यधारा के आपदा जोखिम को कम करने से सम्बन्धित कार्यों को SSA/RMSA के अन्तर्गत मुख्यधारा में लाना ।	राज्य परियोजना निदेशक SSA/RMSA	वार्षिक
	(iii) विद्यालय सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों को राज्य आपदा प्रबन्धन योजनाओं में शामिल करने को सुनिश्चित करना ।	SDMA शिक्षा विभाग	वार्षिक
	(iv) जिला आपदा प्रबंधन योजना के द्वारा विद्यालय की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की समीक्षा करना ।	SDMA	वार्षिक
3.	**सुरक्षा कार्यों का क्रियान्वयन –**		
	(i) विद्यालय की डिजाईन में स्थानीय रूपान्तरों और विद्यालय सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय और राज्य मानदण्डों पर विद्यालयों को सलाह देने के लिए तकनीकी ऐजेन्सी के एक पैनल को नियुक्त करना ।	शिक्षा विभाग/ राज्य परियोजना निदेशक (SSA)	तुरन्त/एक बार

4.	**विद्यालय सुरक्षा हेतु क्षमता संवर्द्धन –**		
	(i) छात्रों एवं विद्यालय स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग, SDRF/Red Cross के साथ विभिन्न आपदाओं हेतु कार्य योजना का विकास करना, जिसमें राज्य, जिला स्तर से सम्बन्धित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, प्राथमिक चिकित्सा से सम्बन्धित करने योग्य एवं ना करने योग्य कार्यों को शामिल कर लिया गया हो ।	SDMA/ राज्य शिक्षा अधिकारी राज्य परियोजना अधिकारी (SSA)	तुरन्त/एक बार
	(ii) विभिन्न खतरों पर बच्चों की समझ विकसित करने के लिए स्थानीय भाषाओं के माध्यम से बच्चे के अनुकूल अध्यापन सामग्री का विकास करना एवं क्या करें, क्या न करें की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना ।	SDMA शिक्षा विभाग	वार्षिक
	(iii) विद्यालय सुरक्षा मुद्दे पर शिक्षकों और छात्रों को संलग्न करने के लिए बच्चे के अनुकूल शिक्षण सामग्री का विकास करना ।	SCERT/State Board of Education	वार्षिक
	(iv) विद्यालय सुरक्षा अवधारणाओं पर विद्यालय स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना ।	SCERT/ SDMA	वार्षिक
	(v) आपदा से प्रभावित बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता हेतु सन्दर्भ व्यक्तियों और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना	SDMA शिक्षा विभाग	वार्षिक
5.	**विद्यालय सुरक्षा प्रबोधन –**		
	(i) राज्य स्तर पर राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति मार्गदर्शन नियमावली के क्रियान्वयन का प्रबोधन	SDMA शिक्षा विभाग	वार्षिक

5.3 जिला स्तर –

1	**विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित सीखने के माहौल के लिए संस्थागत प्रतिबद्धता को मजबूत करना–**		
	(i) आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हिस्से के रूप में जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोगी रूप में शामिल करना ।	जिला कलेक्टर / DDMA	तुरन्त / एक बार
	(ii) जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं में यह सुनिश्चित करना कि जिले में शैक्षिक और आधारभूत संरचना को समृद्ध करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाऐं हैं ।	जिला कलेक्टर / DDMA	वार्षिक
	(iii) जिला स्तर पर एक विद्यालय सुरक्षा सलाहकार समिति का गठन	जिला कलेक्टर / DDMA	तुरन्त / एक बार
	(iv) नियमित रूप से सभी स्कूलों में सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करें – प्राधिकारण द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी भी मौजूदा निगरानी प्रारूप में अनिवार्य रूप से स्कूल सुरक्षा मानदण्ड शामिल करना ।	जिला शिक्षा अधिकारी	तुरन्त / एक बार
2.	**सुरक्षा के लिए योजना –**		
	(i) यह सुनश्चित करना है कि विद्यालय सुरक्षा सम्बन्धी समस्त आयाम शामिल हैं ।	जिला कलेक्टर / DDMA	तुरन्त / एक बार
	(ii) जिला आपदा प्रबन्धन योजना (DDMP) में आपात स्थितियों हेतु बच्चों के लिए अनुकूल स्थान की अग्रिम डिजाईन तैयार करना	जिला कलेक्टर / DDMA	वार्षिक
	(iii) यह सुनिश्चित करना है कि सभी नए विद्यालय सुरक्षा मानदण्डों के अनुकूल हैं ।	जिला कलेक्टर / DDMA	तुरन्त / एक बार

	(iv) विद्यालय सुरक्षा हेतु ब्लॉकवार सूची तैयार करना, प्रासंगिक सभी खतरों, आस–पास के खतरनाक उद्योगों आदि के लिए तेजी से दृश्य–स्केलिंग या किसी अन्य पद्धत्ति के माध्यम से मूल्यांकन किए गए स्कूलों की भौतिक स्थिति तैयार करना (उस क्षेत्र के संदर्भ में परिक्षित विद्यालयों की भौतिक स्थिति, उस क्षेत्र में विद्यमान खतरनाक उद्योगों सहित) ।	DEO	तुरन्त/एक बार
3.	**सुरक्षा कार्यों का कार्यान्वयन –**		
	(i) विद्यालय सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय और राज्य के मानदण्डों के अनुरूप स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्कूल डिजाईन में स्थानीय अनुकूलन पर स्कूलों को सलाह देने के लिए तकनीकी ऐजेन्सियों की नियुक्ति करना	DEO	तुरन्त/एक बार
	(ii) यह सुनिश्चित करना कि सभी मौजूदा एवं नए विद्यालय राष्ट्रीय भवन निर्माण मानदण्ड के अनुरूप निर्मित हैं । इसके अतिरिक्त जहां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मानदण्ड को पालन करने की आवश्यकता है, वह कर लिया गया है ।	DDMA	तुरन्त
	(iii) बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा नियम 2010 के उपनियम (4)(15) के अन्तर्गत मान्यता प्रमाण पत्र, केवल उन स्कूलों को जारी करना जो राज्य द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानदण्डों का पालन करते हैं ।	DEO	तुरन्त/एक बार
	(iv) स्कूलों में गैर–संरचनात्मक सुरक्षा मानदण्डों पर प्रगति की समीक्षा करना	DEO	तुरन्त/एक बार

4.	**विद्यालय सुरक्षा हेतु क्षमता संवर्द्धन –**		
	(i) स्कूल के सभी शिक्षकों, कार्यरत कार्मिकों, डिजाईनरों के प्रशिक्षण	DDMA DIET	त्रैमासिक
	(ii) डाईट को प्रशिक्षकों को अपने सुरक्षा पहलुओं पर सेवारत एवम् सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षकों को सीधे प्रशिक्षित करना चाहिए ।	DEO / DIET	त्रैमासिक
	(iii) शिक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के निष्पादन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों पर स्कूल की सुरक्षा हेतु मुख्य सन्दर्भ शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ।	DDMA / DIET	त्रैमासिक
	(iv) आपदाओं से प्रभावित बच्चों के लिए मनो–सामाजिक सम्बलन हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण ।	DDMA/DIET	अर्द्धवार्षिक
	(v) विद्यालय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विद्यालय प्रबन्धन समिति का क्षमता संवर्द्धन यथा – लड़कों, लड़कियों और शिक्षकों की स्वच्छता की जरूरत, प्राथमिक चिकित्सा, प्रयोगशालाओं में आग, रसायनों का प्रयोग, खतरनाक सामग्री से निपटना आदि ।	DDMA/DIET	त्रैमासिक
5.	**विद्यालय सुरक्षा की निगरानी –**		
	(i) नियमित रूप से सभी स्कूलों में सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार करना । अधिकारियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले किसी भी मौजूदा निगरानी प्रारूप में स्कूल सुरक्षा मापदण्ड शामिल करना ।	DEO	त्रैमासिक
	(ii) ब्लॉक स्तर पर स्कूल सुरक्षा की निगरानी और सुविधा के लिये ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या सक्षम अन्य अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर विद्यालय सुरक्षा सम्बलन हेतु निर्देश जारी करना ।	DEO	तुरन्त/एक बार

5.4 विद्यालय स्तर –

1.	**बच्चों के लिए सुरक्षित सीखने के माहौल के लिए संस्थागत प्रतिबद्धता को मजबूत करना –**		
	(i) स्थानीय समुदाय और विद्यालय की बैठक, रैलियों आदि के माध्यम से स्कूल सुरक्षा कार्य में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना एवं तदनुसार कार्य योजना का निर्माण करना ।	SMC	आवश्यकतानुसार
	(ii) स्कूल में नियमित प्रतिबद्धताओं के साथ–साथ स्कूल स्तर पर स्कूल सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों को सक्रिय रूप से संचालित करने के लिये एक मुख्य संदर्भ अध्यापक (FPT) नामित किया जाना ।	प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक	तुरन्त / एक बार
	(iii) शिक्षकों / प्रशिक्षकों के एक संवर्ग की पहचान एवं विकास जो विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित संदेश सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा सकें ।	स्कूल सुरक्षा मुख्य सन्दर्भ शिक्षक (FPT)	वार्षिक
	(iv) स्कूल के विस्तार और विकास, अग्निशमन अभ्यास, विद्युत सम्बन्धी समस्या, मौसम की घटनाओं, स्वास्थ्य और सुरक्षा सम्बन्धी पहलु, सड़क / बस दुर्घटनाओं के सम्बन्धित हेतु एक सशक्त तंत्र की स्थापना करना ।	SMC / PRI	तुरन्त / एक बार
2.	**सुरक्षा के लिए योजना –**		
	(i) सुरक्षा पहलू की दृष्टि से विद्यालय विकास योजना में विद्यालय सुरक्षा की दृष्टिकोण से समस्त आवश्यकतापरक मूल्यांकन का आयोजन	स्कूल सुरक्षा मुख्य सन्दर्भ शिक्षक (FPT)	वार्षिक
	(ii) आवश्यकतापरक मूल्यांकन में सम्बन्धित हितधारकों, नगरीय स्थानीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति व छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।	Principal/FPT	वार्षिक

	(iii) विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत विद्यालय सुरक्षा के संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक पहलुओं को सम्मिलित करना ।	Principal/FPT	वार्षिक
	(iv) विद्यालय में आने वाले खतरों का नियमित विश्लेषण कर योजना को अद्यतन करना ।	Principal/FPT/ SMC	आवश्यकतानुसार
	(v) विद्यालय के लिए आपातकालीन योजना का निर्माण करना (आपात निकासी, प्रयोगशालाओं में रसायनों का रख–रखाव, आपातकालीन सुरक्षा उपकरण एवं सामग्री सहित)	Principal/FPT/ SMC	आवश्यकतानुसार
3.	**सुरक्षा कार्यप्रणाली का क्रियान्वयन –**		
	(i) तत्काल सुरक्षा मानदण्ड की समीक्षा जो विद्यालय स्तर पर अपेक्षित है (यथा गैर संरचनात्मक खतरों से सुरक्षा हेतु आपात निकासी पथ, विद्यालय में इधर–उधर बिखरे पड़े सामान आदि)	Principal/ FPT/SMC	त्रैमासिक
	(ii) विद्यालय विकास योजना के उन कार्यों में सहभागिता करना जो ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकायों की विकास योजना में शामिल किये जा सकते हैं ।	Principal/ FPT/SMC	त्रैमासिक
	(iii) विद्यार्थियों में सुरक्षा जागरूकता एवं बनावटी अभ्यास के अवसर संवर्द्धन हेतु विद्यालय समय सारणी में संशोधन करना ।	Principal/ FPT/SMC	त्रैमासिक
4.	**विद्यालय सुरक्षा हेतु क्षमता संवर्द्धन –**		
	(i) विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की विद्यालय सुरक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान ।	Principal/ FPT/SMC	वार्षिक

	(ii) स्थानीय खतरों एवं जोखिम कम करने के लिऐ छात्रों के लिये जागरूकता कार्यक्रम – (गलियों में खेल, रैलियों का आयोजन, कला प्रतियोगिताओं, क्विज एवं स्लोगन लेखन के माध्यम से) ।	Principal/ FPT/SMC	साप्ताहिक
	(iii) विद्यालय सुरक्षा हेतु नियमित बनावटी अभ्यास (Mockdrill)] सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग का व्यवहारिक प्रदर्शन आदि (विद्यालय में सुरक्षा दिवस, जोखिम न्यूनता दिवस)	Principal/ FPT/SMC	मासिक
	(iv) सुरक्षा आवश्यकताओं के मापन पर विद्यालय प्रबन्धन समिति को प्रशिक्षिण करना, तत्सम्बन्धी योजना निर्माण एवं सुरक्षा अंकेक्षण ।	FPT	त्रैमासिक
	(v) आपदाओं एवं बनावटी अभ्यास के दौरान करणीय कार्यों पर साथी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ।	FPT	त्रैमासिक
5.	**विद्यालय सुरक्षा प्रबोधन –**		
	(i) आग सुरक्षा एवं भोजन सुरक्षा के सम्बन्ध में विद्यालयों में सुरक्षा अंकेक्षण आयोजित करना (विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था सहित)	SMC	त्रैमासिक
	(ii) सम्भावित/अचिन्हित जोखिमों/ अतिरिक्त नवीन जोखिमों की पहचान कर विद्यालय विकास योजना का पुनरीक्षण करना ।	SMC	त्रैमासिक

अनुवाद संपादन

डॉ राम गोपाल शर्मा, रीडर, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर
डॉ रोहताश पचार, आवासीय गृहपति, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर

सहयोगी दल

डॉ. आनंदसिंह बिठू, रीडर, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर
डॉ अंजू टिना, रीडर, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर
श्रीमती गीता बलवदा, रीडर, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर
श्रीमती सविता अग्रवाल, प्राचार्य, राआउमावि, सियाना, श्री कोलायत
श्री मुनीराम लेघा, प्रधानाचार्य, राउमावि, सूरजडा, बीकानेर
डॉ प्रबोध चन्द्र खत्री, व्याख्याता, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर
श्री नरेंद्र अग्रवाल, व्याख्याता, 5 CHM, लुनकरनसर, बीकानेर
डॉ. तारा स्वामी, राजस्थान महिला टी.टी. कॉलेज, बीकानेर
श्री केवल शर्मा, व्याख्याता, राआवि, फलोदी, जोधपुर
श्री कानाराम शर्मा, व्याख्याता, राआवि, बाप, जोधपुर
श्री विजय दैया, व.अ. रा बा उ मा वि, रामगढ, जैसलमेर
श्री विनोद कुमार जांदू, व.अ. रामावि, गिन्नानी पंवारसर, बीकानेर

दिशानिर्देशों के विस्तृत विवरण हेतु विजिट करें - http://www.ndma.gov.in